न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 09/2021

प्रार्थीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र श्री मदरूपराम आयु 60 वर्ष, जाति जाट निवासी सारणों का बास ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
2. लीलाराम पुत्र श्री हेमाराम आयु 36 वर्ष, जाति जाट निवासी मालकोसनी रोड़ ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. चिमनाराम दतकपुत्र नारायणराम जाति जाट (मोगा) निवासी खोखुण्डा रोड़ ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी, एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 10/04/2023

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2429/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 1292 है, जो प्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई सहदेव की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जो भावी से सरकारी नाडा व काकड़ जाने वाले आम रास्ता की दक्षिण दिशा में उक्त आम रास्ता से चिपते हुए स्थित है। इसी प्रकार उक्त ग्राम में स्थित भूमि खसरा संख्या 2425 रकबा 1.0922 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2426 रकबा 1.5209 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 1297 है, जो प्रार्थीगण व प्रार्थी संख्या 2 के भाई सहदेव की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व सहदेव का 1/4 हिस्सा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 के पूर्व व उतर दिशा में तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2429 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 2430 रकबा 1.5290 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2432 रकबा 0.9061 हैक्टेयर आयी हुयी है। जो राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा की सरहद में है तथा उक्त भूमि खसरा संख्या 2430 व 2432 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा है। जिसके खाता संख्या 320 है। प्रार्थीगण के पूर्वजों व अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2430 व 2432 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे खसरा संख्या 2430 व 2432 की भूमि में से लगभग 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में आने–जाने हेतु कायम किया तथा प्रार्थीगण के पूर्वजो व प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2429/1 मे से होकर खसरा संख्या 2430 व 2432 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे कायम किये गये रास्ते को ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में आने–जाने हेतु वक्त सेटलमेन्ट से उपयोग करते आ रहे है। उक्त कायम किये गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क **ए.बी.सी.डी.** से दर्शित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2430 के उतरी दिशा की ओर खसरा संख्या 2429/1 स्थित है तथा खसरा संख्या 2429/1 की उतरी दिशा में खसरा संख्या 2459 रकबा 2.8185 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आयी हुयी है। जो राजस्थान सरकार के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है, जिसके खाता संख्या 1308 है। उक्त सड़क ग्राम भावी से सरकारी नाड़ा व काकड़ की ओर जाती है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में काश्त कार्य हेतु आने–जाने हेतु व कृषि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त गैर मुमकीन रास्ता के दक्षिण दिशा में स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2429/1 में से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2430 व 2432 की पश्चिमी माठ पर स्थित रास्ता मार्क **ए.बी.सी.डी.** का उपयोग करते है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही है। भूमि खसरा संख्या 2430 व 2432 के मार्क **ए.बी.सी.डी.** भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में पहुचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा संख्या 2430 व 2432 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज से 10–12 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को खुर्द बुर्द कर दिया व बंद कर दिया, जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में आने–जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थीगण का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 2430 व 2432 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

संख्या 1 के विरूद्ध खसरा संख्या 2430 व 2432 में स्थित मार्क **ए.बी.सी.डी.** रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढ़ा जावे। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2430 व 2432 में स्थित मार्क **ए.बी.सी.डी.** 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2430 रकबा 1.5290 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2432 रकबा 0.9061 हैक्टेयर के मार्क **ए.बी.सी.डी.** भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में पहुचता है, जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेते है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2430 रकबा 1.5290 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2432 रकबा 0.9061 हैक्टेयर में स्थित मार्क **ए.बी.सी.डी.** रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 2430 रकबा 1.5290 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2432 रकबा 0.9061 हैक्टेयर के मार्क **ए.बी.सी.डी.** भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। बाद नोटिस तामिल अप्रार्थी 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट हेतु अलग से तहरीर जारी की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 2 की ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2429/1 रकबा 0.1618 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी है। इसी प्रकार प्रार्थीगण की ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2425, 2426 सयुक्त खातेदारी की जरूर आयी हुयी है। पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 2425, 2426 में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 2430, 2432 में से होकर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कोई रास्ता नही निकलता है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 2425, 2426 में कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में नया रास्ता कायम करना चाहते है, जबकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य करने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जो वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 2428 के मार्क अ.ब.स.द. तथा खसरा नम्बर 2427 के मार्क य.र.ल.व. है। उक्त सहारे सहारे रास्ता चलकर खसरा नम्बर 2427 की भूमि में पहुच कर आगे खसरा नम्बर 2427 के पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलकर खसरा नम्बर 2426 में पहुचता है। प्रार्थीगण का भूमि खसरा नम्बर 2428 के मार्क अ.ब.स.द. तथा खसरा नम्बर 2427 के मार्क य.र.ल.व. की भूमि का आवागमन कई वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 2428 के मार्क अ.ब.स.द. तथा खसरा नम्बर 2427 के मार्क य.र.ल.व. के आम रास्ते से अपनी भूमि खसरा नम्बर 2426 में अपने ट्रेक्टर, वाहन, मोटर साईकल आदि साधन लाते व ले जाते है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण सेटलमेन्ट के समय से करते चले आ रहे है। मौके पर चल रहे रास्ते का नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा विरोधाभाषी है अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2430, 2432 में से कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2426, 2425 में आने जाने हेतु का नही चलता है तथा न ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की भूमि का कभी उपयोग व उपभोग रास्ते के रूप में किया है, जो मौका कमीश्नर रिपोर्ट से भी साबित है। जबकि प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 2429/1 की स्वयं की खातेदारी में से निकल कर खसरा नम्बर 2428 के दक्षिणी पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर मार्क अ.ब.स.द. की भूमि में से निकल कर खसरा नम्बर 2427 में पहुचते है तथा खसरा नम्बर 2427 के पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे होकर मार्क य.र.ल.व. से निकलकर भूमि खसरा नम्बर 2426 में पहुचते है एवं हमेशा की तरह अपना दैनिक जीवन के काम में आने वाले रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहे है। पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 2428 के मार्क अ.ब.स.द. तथा खसरा नम्बर 2427 के मार्क य.र.ल.व. भाग से होकर गुजरने का मौजूद है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा को पेश किया है, उक्त नजरी नक्शे में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2428, 2427 का न्यूनतम रास्ता का उल्लेख या अंकित नही किया गया है। प्रार्थीगण सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम नही करवा सकते है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकित किया गया मार्ग जो प्रार्थीगण का आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग नही है। पद संख्या 5 से 7 कानूनी है। पद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन कमीश्नर द्वारा अप्रार्थी का नोटिस या सूचना दिये बिना एक तरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाला कोई मौका रिपोर्ट नोटिस या सुनवायी का अवसर दिये बिना पारित नही की जा सकती है। अतः मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त की जाने योग्य है। भू अभिलेख निरीक्षक ने जानबुझकर मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 में खसरा नम्बर 2426 में पहचुने हेतु का न्यूनतम रास्ता खसरा नम्बर 2430, 2432 के मार्क ए.बी.सी.डी. का होना बताया है। राजस्व रेकर्ड भू नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2426 को खसरा नम्बर 2430, 2432 में से निकलने के लिए 12 बिस्वा रास्ते की भूमि बनती है। इसके विपरित खसरा नम्बर 2429/1 के पश्चिम दिशा की ओर स्थित भूमि खसरा नम्बर 2428, 2427 के पश्चिमी दिशा की माठ के सहारे सहारे का रकबा न्यूनतम बनता है। भू अभिलेख निरीक्षक ने रेकर्ड की स्थापना करने में भारी अनियमितता बरती गयी है, जो केवल इसी आधार पर कमीश्नर रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है। कमीश्नर महोदय ने खसरा नम्बर 2428, 2427 में से वैकल्पिक रास्ता होना नही बताया है, जबकि प्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 2426 में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 2428, 2427 के पूर्वी दिशा की ओर चल रहे रास्ते को रिपोर्ट में नही बताया है तथा न ही न्यूनतम रास्ता व वैकल्पिक रास्ता की दूरी को बताया गया है, जो मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 काबिल खारिज योग्य है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण को विशेष हर्जाना दिलाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार ग्राम भावी जे.बी. में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 2425 व 2426 में आने जाने का वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी अपने खेत में काश्त हेतु आस पड़ौस के अन्य खातेदारों के खेत से अस्थाई रूप से आना जाना करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में ग्राम भावी जाटावास के निम्न खसरा की भूमि जायेगी जिसकी डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :–

क्रस	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर	रास्ते हेतु वांछित प्रभावित रकबा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट. में	रास्ते हेतु वांछित/प्रभावित रकबा की डी.एल.सी. दर अनुसार राशि
1.	2430	0.11 बीघा भूमि	200156/–	35640
2.	2432	0.01 बीघा भूमि	200156/–	3240
	योग	0.12 बीघा		38880/–

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 2430, 2432 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे फर्द मौका दिनांक 04.08.2021 में वांछित रास्ते के रूप में लाल स्याही से दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा संख्या 2425 व 2426 में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 2430 व 2432 में से वांछित रास्ते में किसी भी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण नही है तथा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी व प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। मौका कमीश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने को तैयार है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2425 व 2426 में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 2427, 2428 में से जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क अ.ब.स.द. य.र. ल. व. है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 2425 व 2426 में प्रार्थीगण को काश्तकार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 2432 व 2430 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो प्रार्थीगण के अन्य खेत खसरा संख्या 2429 से होकर खसरा नम्बर 2459 गै.मु. सड़क पर पहुचता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता को सबसे नजदीकी रास्ता होना बताया है तथा मौके पर वांछित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 2428 व 2427 में से मार्क अ.ब.स.द. य.र.ल.व. वैकल्पिक रास्ता मौके पर होना बताया है, जबकि कमीश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मार्क अ.ब.स.द. य.र.ल.व. वैकल्पिक रास्ता मौके पर नही होना बताया है। इसलिए मार्क अ.ब.स.द. य.र.ल.व. को वैकल्पिक रास्ता नही माना जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कमीश्नर रिपोर्ट पर एतराज अतिरिक्त कथन के रूप में जो जवाब में लिये वही एतराज अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. में लिये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत एतराज का समर्थन भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 के अनुसार मानने योग्य नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कमीश्नर रिपोर्ट पर उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये पेश एतराज को अस्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी होने के कारण दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा पेश बिन्दुवार रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

24.09.2021 व भू अभिलेख निरीक्षक भावी द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द दिनांक 04.08.2021 में खसरा नम्बर 2432 व 2430 में दर्शाये वांछित रास्ता रकबा 12 बिस्वा को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में घोषित रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे एवं उक्त रास्ते की भूमि के सम्बंध में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी कुल राशि 38880/– रूपये उपरोक्त सारणी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये चैक/डी.डी. से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि जरिये चैक/डी.डी. प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थीगण तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 04.08.2021 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आंज दिनांक 10/04/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा